

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 502/2025

अब्दुल रजाक पुत्र नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया

- वादी

बनाम्

1. नूरहसन पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
2. अल्लारखा पुत्र नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
3. हलीमा बीबी पुत्री नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
4. नूरअहमद पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
5. मो.रमजान पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
6. पीठासीन पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
7. नूरनवी पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
8. सायरा बीबी पुत्री स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया
9. गुलजारा पुत्री स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
10. जैना बीबी पुत्री स्व. सरदार अली जाति मुसलमान नि. किकरवाली तहसील संगरिया
11. कलसूमा पत्नी स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. मुमताज पुत्र स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. जना पुत्री स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. सत्तो पुत्री स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. मुमताज बीबी पुत्री स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. गुलजारा पत्नी स्व. इप्ताक पुत्र स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

17. वसीम पुत्र स्व. इश्ताक आयु 14 वर्ष नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता गुलजारा पत्नी स्व. इश्ताक पुत्र स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. सुकीन पुत्र स्व. इश्ताक आयु 12 वर्ष नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता गुलजारा पत्नी स्व. इश्ताक पुत्र स्व. हुसैन खां पुत्र स्व. सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुन मिदा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी के स्व. दादा सरदार अली पुत्र सुलेमान के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 105/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.253 है. कृषि भूमि में से वादी को 8/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा सरदार अली का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..... नल..... मुब्लिक..... निल..... बाबत..... निल..... खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.10.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महसुल वसूलकर्ता एवं
उपस्थित अधिकारी, संगरिया
संगरिया